

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 133/2024/ सरफैसी

इंडियन बैंक, मुख्य शाखा भुपालपुरा, उदयपुर

बनाम

.....प्रार्थी

1. खनक इन्फोसिस, जरिये प्रोपराईटर श्री विजय सालवी, विजय प्लाजा, 80 फीट रोड सेक्टर 09, हिरणमगरी, उदयपुर, -313001 एवं प्लॉट न. 11, ब्लॉक डी, हिरणमगरी सेक्टर 9, सविना, उदयपुर 313001
2. रतन लाल सालवी पुत्र स्व. रामा सालवी प्लॉट न. 11, ब्लॉक डी, हिरणमगरी सेक्टर 9, सविना, उदयपुर 313001
3. दीपिका सालवी पत्नी श्री विजय सालवी प्लॉट न. 11, ब्लॉक डी, हिरणमगरी सेक्टर 9, सविना, उदयपुर 313001 एवं 21 डी ब्लॉक, सेक्टर 9, 80 फीट मुख्य रोड सविना, उदयपुर राज. 313002

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 01-10-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि 258.18 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (मैसर्स खनक इन्फोसिस, विजय प्लाजा, 80 फीट रोड सेक्टर 09, हिरणमगरी, उदयपुर, -313001 में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल सम्पत्तियों/स्टॉक्स/चल वस्तुओं का दृष्टिबंधक।। एवं मैसर्स खनक इन्फोसिस, जरिये प्रोपराईटर श्री विजय सालवी पुत्र श्री रतनलाल सालवी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक प्लॉट न. 08 (बस स्टेण्ड पर शॉपिंग सेन्टर) हिरण मगरी, सेक्टर 9 स्कीम उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है, सीमाएं- पूर्व:प्लॉट न. 12 एवं 13, पश्चिम: रास्ता 10 फीट चौड़ा एवं पार्किंग 30 फीट चौड़ी रोड 100 फीट, उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट न. 05 एवं रतन लाल सालवी पुत्र स्व. रामा सालवी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक प्लॉट न. 11, ब्लॉक डी, हिरणमगरी सेक्टर 9, स्कीम उदयपुर राजसीन पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 375 वर्ग फीट है। सीमाएं:-पूर्व में साईट प्लान के अनुसार एवं रोड 80' चौड़ा, पश्चिम में प्लाट न. 12, उत्तर

M
जिला कलक्टर
उदयपुर

में प्लॉट न. 10, दक्षिण में साईट प्लान के अनुसार एवं रोड 80' चौड़ा) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 15.04.2024 तक 2,41,66,050/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि 258.18 लाख रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 15.04.2024 तक 2,41,66,050/- रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (मैसर्स खनक इन्फोसिस, विजय प्लाजा, 80 फीट रोड सेक्टर 09, हिरणमगरी, उदयपुर, -313001 में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल सम्पत्तियों/स्टॉक्स/चल वस्तुओं का दृष्टिबंधक।। एवं मैसर्स खनक इन्फोसिस, जरिये प्रोपराईटर श्री विजय सालवी पुत्र श्री रतनलाल सालवी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक प्लॉट न. 06 (बस स्टेण्ड पर शॉपिंग सेन्टर) हिरण मगरी, सेक्टर 9 स्कीम उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है, सीमाएं— पूर्व:प्लॉट न. 12 एवं 13, पश्चिम: रास्ता 10 फीट चौड़ा एवं पार्किंग 30 फीट चौड़ी रोड 100 फीट, उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट न. 05 एवं रतन लाल सालवी पुत्र स्व. रामा सालवी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक प्लॉट न. 11, ब्लॉक डी, हिरणमगरी सेक्टर 9, स्कीम उदयपुर राजसीन पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 375 वर्ग फीट है। सीमाएं:—पूर्व में साईट प्लान के अनुसार एवं रोड 80' चौड़ा, पश्चिम में प्लॉट न. 12, उत्तर में प्लॉट न. 10, दक्षिण में साईट प्लान के अनुसार एवं रोड 80' चौड़ा) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर